

अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण

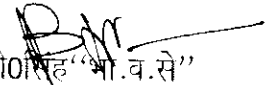
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा प्रस्तावित लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर-प्रतापपुर- बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः किसी भी अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।


(राजेन्द्र कुमार शुक्ला)

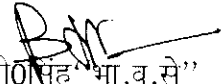
कार्यपालन अभियन्ता
अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग
छ.रा.वि.पारे.क.मर्यादित, कोरबा (छ.ग)


बी०पी० सिंह "भा.व.से"
वनमण्डलाधिकारी
बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण

प्रस्तावित लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर-प्रतापपुर- बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर विद्युत पारेषण लाईन परियोजना नवीन है तथा बलरामपुर वन मंडल के अन्तर्गत वन भूमि में कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।

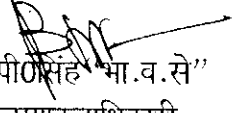

बी०पी० सिंह भा.व.से”
वनमण्डलाधिकारी
बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कार्यपालन अभियन्ता अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.रा. वि. पारे. क. मर्यादित कारेबा छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावित लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर-प्रतापपुर- बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि 6.961 हे. के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

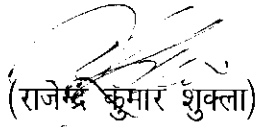
अतः किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अधिनियम उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।


बी.पी.सिंह भा.व.से”
वनमण्डलाधिकारी
बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

// वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर राजस्व वन भूमि अनुपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र //

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण मर्यादित कोरबा

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा प्रस्तावित लिलो ऑफ 132 के. व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर-प्रतापपुर- बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर विद्युत पारेषण लाईन निर्माण के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर राजस्व वन भूमि अनुपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है ।


(राजेंद्र कुमार शुक्ला)

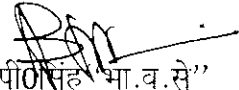
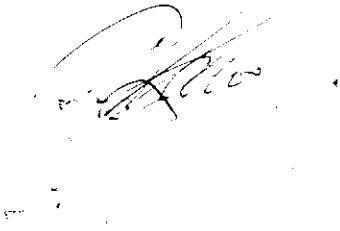
कार्यपालन अभियन्ता
अति उच्च दाव (निर्माण) संभाग
छ.रा.वि.पारे.क.मर्यादित, कोरबा (छ.ग)


बी.वी.सी. भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी
बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

केचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान

कार्यपालन अभियन्ता अति उच्च दाव (निर्माण) संभाग छ.रा. वि. पारे. क. मर्यादित कोरबा छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तावित लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर-प्रतापपुर- बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु केचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

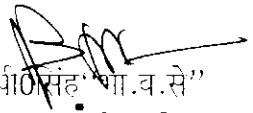


बी०पी०सिंह "भा.व.से."
वनमण्डलाधिकारी
बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण पर्यावेर कोरबा
कार्यालय कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाव (निर्माण) संभाग, कोरबा (छ.ग.)

रिक्लेमेशन प्लान

कार्यपालन अभियन्ता अति उच्च दाव (निर्माण) संभाग छ.रा. वि. पारे. क. मर्यादित कोरबा
छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तावित लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एन. विश्रामपुर-प्रतापपुर- बलरामपुर लाईन
के लो. नम्बर 42/0 से देपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर विद्युत पारेषण लाईन निर्माण
निर्माण हेतु रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।



“ओपीओसंह.भा.व.से”

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर, वनमण्डल बलरामपुर